न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 703 / 2023
अनवान : –

1. सुरेंदर सिंह पुत्र हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. निमा देवी पत्नी हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर ।
3. कमला पुत्री हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. शारदा पुत्री हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 18.9700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की माता है तथा वयोवृद्ध महिला है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाइयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 ता 4 का उपरोक्त [illegible] शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी [illegible] काबिज वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में [illegible] अधिकारी है। यही [illegible] दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी स0 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उनकी फौतगदी के बाद वादी के पिता तथा उनके देहान्त के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 82/82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 18.9700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो कि वादी की माता है। वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी के पिता के नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:05 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हुई एवं वादी के पिता की फौतगदी के बाद प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेली के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरंपच ग्राम पंचायत सोनड़ी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 18.9700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 703/2023

अनवान : –

1. सुरेंदर सिंह पुत्र हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. निमा देवी पत्नी हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. शारदा पुत्री हेतराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 703 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 18.9700 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:05 IST
Reason: SelfAttested